न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 59/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022/32**
दायर दिनांक :— 08.03.2022 **निर्णय दिनांक :— 21.01.2025**

1. हड़मानसिंह पुत्र माधोसिंह उर्फ माधुसिंह जाति राजपूत नि. नोखड़ा तहसील कोलायत
2. दिलीपसिंह पुत्र माधोसिंह उर्फ माधुसिंह जाति राजपूत नि. नोखड़ा तहसील कोलायत

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. कंचन पुत्री दामोदर जाति महेश्वरी निवासी नोखड़ा तह. कोलायत जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री विजय तंवर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2

(मुहर: सहायक कलक्टर बाप फलोदी (राज.))

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 17.8952 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 146/4 रकबा 0.0469 मौजा खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अलग—अलग रूप से दर्ज थी लेकिन नक्शा ट्रेस में सामलाती होने के कारण वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 17.8952 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 146/4 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि की नक्शा ट्रेस में कब्जा काश्त के विपरित की गयी तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

21/01/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिवक्ता विजय तंवर ने वकालतनामा एवं जवाब विशेष आपत्ति का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 146 रकबा 17.8952 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 146/4 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानसिंह की सिड की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 146 रकबा 17.8952 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 146/4 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का कानसिंह की सिड की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

21.01.25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)